

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 1269 / 198 / आउशि / बजट / 18
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/6/2018

- (1) प्राचार्य,
नीचे दर्शाये अनुसार नवीन शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश
- (2) प्राचार्य,
नीचे दर्शाये अनुसार संबंधित शास. अग्रणी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय-“योजना क्रमांक 7134- नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु अनुदान योजना”
अन्तर्गत नवीन महाविद्यालयों को बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19

निम्नलिखित नवीन प्रारंभ किये गये शासकीय महाविद्यालयों को महाविद्यालय संचालन एवं अधोसंरचना हेतु आवश्यक सामग्री/व्ययों के लिए उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आवंटन जारी किया जाता है :-

क्र.	महावि. का नाम	संबंधित अग्रणी महावि.	पत्र क्र. एवं दिनांक	बजट शीर्ष 44-2202-03-103-0101-7134-	आवंटित राशि	रिमार्क
1	शा.महावि. बदरवास जिला शिवपुरी	शा.पी.जी.महावि. शिवपुरी	अग्रणी 393 / 26.05.18	7134-42-007 सहायक अनुदान (संबद्धता शुल्क हेतु)	7600	पत्र क्र. 864 दिनांक 02.05.18 द्वारा 100000 का आवंटन जारी
2	शा.महावि. ताल जिला रतलाम	शा.कला-विज्ञान महावि.रतलाम	अग्रणी 329 / 9.5.18	7134-42-007 सहायक अनुदान (संबद्धता शुल्क हेतु)	0	पत्र क्र. 864 दिनांक 02.05.18 द्वारा 75000 का आवंटन जारी
3	शा.महावि. रावटी जिला रतलाम	शा.कला-विज्ञान महावि.रतलाम	अग्रणी 330 / 9.5.18	7134-42-007 सहायक अनुदान (संबद्धता शुल्क हेतु)	0	पत्र क्र. 864 दिनांक 02.05.18 द्वारा 75000 का आवंटन जारी
4	शा.महावि. नामली जिला रतलाम	शा.कला-विज्ञान महावि.रतलाम	अग्रणी 331 / 9.5.18	7134-42-007 सहायक अनुदान (संबद्धता शुल्क हेतु)	9700	पत्र क्र. 864 दिनांक 02.05.18 द्वारा 75000 का आवंटन जारी
5	शा.महावि. बाजना जिला रतलाम	शा.कला-विज्ञान महावि.रतलाम	अग्रणी 332 / 9.5.18	7134-42-007 सहायक अनुदान (संबद्धता शुल्क हेतु)	900	पत्र क्र. 864 दिनांक 02.05.18 द्वारा 75000 का आवंटन जारी
6	शा.महावि. केशवाही जिला	शा.महावि.बुढ़ार जिला शहडोल	423 / 2.6.18	7134-22-003 फर्नीचर 7134-22-008 अन्य आकस्मिक व्यय	200000 50000	

	शहडोल			7134-34-009-सामग्री पूर्ति-अन्य 7134-42-007 सहायक अनुदान-अन्य	150000 50000	
7	शा.महावि. चिनौर जिला ग्वालियर	शा.आदर्श विज्ञान महावि.ग्वालियर	251/ 9.6.18	फर्नीचर एवं विभिन्न सामग्री (मद एवं मांग राशि का उल्लेख नहीं किया गया है)	0	पत्र क्र. 864 दि.2. 5.18 द्वारा 270000 का आवंटन जारी
	कुल योग				468200	

(2) उक्त राशि का आहरण/उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 अन्तर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :-

44-2202-03-103-0101-7134-22-003- फर्नीचर
44-2202-03-103-0101-7134-22-007- स्टेशनरी
44-2202-03-103-0101-7134-22-008- अन्य आकस्मिक व्यय
44-2202-03-103-0101-7134-34-009- सामग्री पूर्ति-अन्य
44-2202-03-103-0101-7134-42-007- सहायक अनुदान

(3) सामग्री क्रय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(4) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(5) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

(6) उक्त योजना अन्तर्गत यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है तो उपरोक्त आवंटित राशि के पूर्ण व्यय उपरांत वास्तविक आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित प्रारूप में मांग पत्र उपलब्ध कराये महावि. का नाम कुल छात्र संख्या.....

क्र.	बजट शीर्ष	सामग्री का नाम	वर्तमान में उपलब्ध संख्या	अतिरिक्त आवश्यकता	राशि	औचित्य	रिमा र्क
1	7134-22-003 फर्नीचर						
2	7134-22-007 स्टेशनरी						
3	7134-22-008 अन्य आक.व्यय						
4	7134-34-009 सामग्री पूर्ति-अन्य						
5	7134-42-007 सहा. अनुदान-अन्य						

(7) नवीन शासकीय महाविद्यालयों को अभी डी.डी.ओ. कोड आवंटित नहीं है। अतः समक्ष में अंकित संबंधित शासकीय महावि./अग्रणी महाविद्यालयों के डी.डी.ओ. कोड अंतर्गत राशि कोषालय

सर्वर पर अपलोड है। अतः संबंधित अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर नियमानुसार राशि का आहरण एवं भुगतान सुनिश्चित करें। उपयोग की गई राशि का नियमानुसार अभिलेख संधारित किया जावे।

- (8) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।
 - (9) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।
 - (10) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।
- “आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

अपर संचालक (विस्तार)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क0- 1270/198/आउशि/बजट/18
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक-21/6/2018

1. विशेष सहायक मा.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
 2. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 3. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 4. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
 5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, भोपाल
 6. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक (विस्तार)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश